<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–516 / 2026
(जदिया थाना कांड सं0–245 / 2025)

	शंकर यादव, पे0 सदानंद यादव, परसागढ़ी उत्तर वार्ड नं0–14, थाना–जदिया, जिला सुपौल.....अभियुक्त / आवेदक बनाम् बिहार राज्य.....विपक्षी	
<u>05 / 05 / 26</u>	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदक **शंकर यादव** की ओर से दाखिल किया गया है, जो जदिया थाना कांड सं0–245 / 2025 अन्तर्गत धारा– 191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 109(1), 308(2), 329(3), 76, 303(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पांडेय को सुना। अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त आवेदक को ग्रामीण गंदी राजनीति एवं भूमि विवाद के कारण झूठा फॅसाया गया है। उभयपक्षों के बीच भूमि विवाद के संबंध में भी प्राथमिकी अंकित किया गया है। जदिया थाना कांड सं0– 246 / 2025 प्रस्तुत वाद का पलटा मुकदमा है। धारा–109(1), 308(2), 303(2) बी0एन0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। अभियुक्त आवेदक के विरूद्व मात्र एक मुकदमा जदिया थाना कांड सं0–102 / 2024 लंबित है तथा अन्य कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। सह अभियुक्तों का जमानत हो चुका है। अभियुक्त आवेदक धारा 482(2)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तो को मानने को तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। अभियुक्त आवेदक, सूचक विजय कुमार यादव के टंकित आवेदन के आधार पर संस्थित जदिया थाना कांड सं0–245 / 2025 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 109(1), 308(2), 329(3), 76, 303(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 के प्राथमिकी अभियुक्त हैं। टंकित आवेदन में आरोप है कि दिनांक 30.11.2025 को समय करीब 11 बजे दिन में उसके जमीन खाता सं0–409, 410, खेसरा 3801, 3800 पर अभियुक्त आवेदक अन्य अज्ञात बदमाश अपने अपने हाथों में हरवे हथियार से लैश होकर एक साथ मजमा बनाकर उसके उक्त जमीन को जबदरस्ती जोतने लगा, जब उसे पता चला तो उसके द्वारा खेत जोतने से मना करने पर अभियुक्त आवेदक एवं अन्य अज्ञात बदमाशों ने उसे गाली गलौज करते हुए अपने हाथ में लिए बंदूक को फायरिंग करते हुए मारपीट करने लगा और उसे बोला भागों यहॉ से वरना तुमको गोली मारकर जान से खत्म कर	Contd

<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–516 / 2026
(जदिया थाना कांड सं0–245 / 2025)

<u>लगातार.....</u> 05 / 05 / 26	देगें, शंकर यादव ने गाली गलौज करते हुए जान मारने की नियत से अपने हाथ में लिए फरसा से उसके सर पर वार किया, जिसे उसका सर बुरी तरह कट गया और काफी खून बहने लगा तथा वह जमीन पर गिर गया। उसे बचाने उसका भाई जयकुमार यादव एवं पत्नी राजकुमारी देवी आया तो उक्त सभी मिलकर उसे भी मारपीट करते हुए उसकी पत्नी के पहने कपड़ा को खींचकर अर्धनग्न कर दिया और गला से चॉदी का चेन एवं नाक में पहने सोने की नकमुनी छीन लिया तथा 2.5 लाख रूपया रंगदारी की भी मॉग किया गया। उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा इनके विरूद्व सूचक के साथ मारपीट करने का आरोप है। उभयपक्षों के मध्य जमीन संबंधी विवाद है। जदिया थाना कांड सं0–246 / 2025 प्रस्तुत वाद का प्रतिलोम वाद है। वाद दैनिकी के कंडिका– 6, 7 एवं 8 में साक्षियों का बयान है तथा कंडिका 44 एवं 45 में जख्मियों का जॉच प्रतिवेदन है, जो साधारण प्रकृति का है एवं कंडिका 51 में आपराधिक इतिहास उल्लेखित है। चूॅकि प्रस्तुत कांड के सह अभियुक्तों का जमानत हो चुका है और अभियुक्त आवेदक के विरूद्व भी समानतल आरोप है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त आवेदक **शंकर यादव** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति / प्रस्तुति के 15 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अभियुक्त आवेदक की ओर से मो0 15,000 / –रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर धारा 482 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अधीन विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश जाता है, कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार या परिवार के सदस्य होगें। लेखापित –हस्ता0– (अनंत सिंह) प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल	